न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 4/2013 दायरा दिनांक : 01.01.2013

उनवान

सुन्दर बाई पुत्री धूल्या, जाति लोधा, निवासी पाइल्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– कलावती बाई पत्नी नोनतीलाल, जाति लोधा, निवासी पाइल्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– बद्रीलाल पुत्र धूल्या, जाति लोधा, निवासी पाइल्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– शाखा प्रबन्धक सी बी आई शाखा हरनावदाशाहजी बारां जिला बारां

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 112/दावा/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने ग्राम पाडल्या, तहसील मनोहरथाना के माल में खतौनी संख्या नयी 56 पुरानी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

167 की कुल किता 3 कुल रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा आराजी अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 के खातेदारी की है । इस प्रकार उक्त खाते के खसरा नम्बर 141 के 14 बीघा 19 बिस्वा पर अपीलांट शांति पूर्ण तरीके से अपने हिस्से पर काश्त करती चली आयी है । अपीलांट द्वारा अपने हिस्से का कभी भी कोई बेचान नहीं किया है । ववादग्रस्त आराजी जिस रेस्पोडेंट ने अपीलांट द्वारा बेचान करना बताया है कतई झूठ है । अपीलांट को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है परन्तु रेस्पोडेंट द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में यह झूठा वाद पेश किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्र संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट कलावती बाई ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके अपीलांट के हिस्से की आराजी का बयनामा अपने नाम करवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को कतई नहीं रही है उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का वर्तमान में कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के बयान व तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अपीलांट ने अपने कथन में न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर पूर्व से ही किसान केडिट कार्ड पर ऋण ले रखा है । किसान केडिट कार्ड के आधार पर सी बी आई शाखा हरनावादाशाहजी के यहां पर वादग्रस्त आराजी अनुबंधित है व नामान्तरकरण खुला हुआ है । इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया । अपीलांट एक अनपढ़ महिला है । अपीलांटा द्वारा कोई बेचान नहीं किया है तथा फर्जी तरीके से रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया है, वास्तविकता यह है कि उक्त इंतकाल में यह भी नहीं दर्शाया गया है कि कब्जा किसका है व कितने हिस्से का बेचान हुआ है तथा बयनामा में चतुर्थ सीमा भी गलत दर्शायी गयी हैं जिन चतुर्थ सीमाओं को दर्शाया गया है उस तरफ की भूमि का बेचान आज दिन तक अपीलांट द्वारा बेचान नहीं किया गया है । इस प्रकार जो बयनामा दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्शित किये गये हैं वह फर्जी है तथा शून्य दस्तावेज है

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

जो खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.12.2012 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपने हिस्से का कभी भी कोई बेचान नहीं किया है । बद्रीलाल ने रेस्पोडेंट कलावती बाई को बेचान सुन्दरबाई अपीलांट को हिस्सा भी बेच दिया जो फर्जी है । अधीनस्थ न्यायालय को दस्तावेजात के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फैसला विक्रयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किया गया है जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं । यदि दस्तावेज फर्जी है तो उसकी कार्यवाही सिविल कोर्ट में की जा सकती है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2012 यथावत रखा जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

आज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

सुन्दर बाई पुत्री धूल्या, जाति लोधा, निवासी पाइल्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ ..... अपीलांट

बनाम

1– कलावती बाई पत्नी नौनतीलाल, जाति लोधा, निवासी पाइल्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
2– बद्रीलाल पुत्र धूल्या, जाति लोधा, निवासी पाइल्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
3– शाखा प्रबन्धक सी बी आई शाखा हरनावदाशाहजी बारां जिला बारां
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

..... रेस्पोर्डेंट

अपील नं. 04 / 2013 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

मुदत्त 112 / दावा / 2007 निर्णय डिक्री दिनांक – 22–06–2012

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह 11 सन् 2020

हाजरी श्री अमर सिंह अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2012 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 18 माह 11 सन् 2020 को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.